कार्यालय जिलाधिकारी, (खनिज अनुभाग),बलिया।

ई–निविदा आगन्त्रण हेतु सूचना

पत्रांक 360 /खनन/सा0बालू/विज्ञप्ति/2024–25 दिनांक 30/11/24

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बलिया में नदी तल में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार सा0बालू के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या 781/86– 2020–14(सा0)/2020 दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशानुसार 06 माह की अल्प अवधि के लिए ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा ई–निविदा डालने की तिथि दिनांक 12.12.2024 समय 10:00 बजे से दिनांक 19.12.2024 समय साय 5:00 बजे तक क्षेत्रों के लिए ई–निविदा पोर्टल **"etenders.up.nic.in"** पर ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण निम्नवत् है:–

क्र सं0	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या / खण्ड संख्या	क्षेत्र फल (एकड में)	सीमायें	जियों कोआर्डीनेट्स			उपखनिज का नाम	खनन योग्य निर्धारित/ आंकलित उपखनिज की मात्रा (घनमी0 में)	आधार मूल्य (रायल्टी दर X निर्धारित/ आंकलित मात्रा रू0 में)	अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 50 प्रतिशत रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.	सिकन्दर पुर	कठौड़ा	3020 मि	5.00	उत्तर पूरब पश्चिम	A	26°5'44.89" N	84°2'17.53 " E	सा0बालू	42000	27,30,000	13,65,000
						B	26°5'49.49" N	84°2'20.49 " E				
						C	26°5'44.33" N	84°2'30.41 " E				
						D	26°5'40.00" N	84°2'27.46" E				

1 अनुज्ञा पत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम 06 माह के लिए होगी।

2 जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज (बालू या मोरम बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो) की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी।

3 किसी क्षेत्र के ई–निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में, जहां वह खनन क्षेत्र स्थित है, अग्रिम के रूप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग–अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तद्नुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग–अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

4 ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू, मोरम, बजरी, बोल्डर की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के लिए मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई–निविदा में भाग लेने से पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

5 यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारोपेरशन लिमिटेड को प्रदेश मे ई–निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करने होगी:–

(क) ई–निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/भेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किया जायेगा।

(ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etenders.up.nic.in पर आनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई–निविदा etenders.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगे।

(ग) बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/भेन्डर्स ई–निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

Scanned with CamScanner

(घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेगें। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी एवं निविदारा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुन्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।

निविदाता द्वारा आनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय etenders.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप–2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण–पत्र अपलोड़ करना अनिवार्य होगाः–

प्रारूप–2 की सूचनायें:–

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञाप्ति किया गया है।

ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक।

ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता(स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मो0 नं0।

घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है।

ड. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 2000/– का चालान संख्या व दिनांक।

च. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।

छ. पैन कार्ड का क्रमांक।

ज. चरित्र प्रमाण–पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हों।

झ. कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण–पत्रः–

क. ई–निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रू0 2000/– का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।

ख. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।

ग. पैन कार्ड।

घ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण–पत्र, परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हों, वहां इस आशय का शपथ पत्र।

ड. सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण–पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण–पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।

विज्ञप्ति के अनुसार छः कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस मे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।

यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–6 मे वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड़ नही की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड़ किये गये प्रारूप–2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि (निविदा डाले जाने की अन्तिम तिथि के अगले कार्य दिवस) तक सम्बन्धित खनिज कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नही होगा उसकी ई–निविदा नही खोली जायेगी।

0 सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय आनलाईन अपलोड़ किये गये समस्त अभिलेखो की मूल प्रति सम्बन्धित खनिज कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड़ किये गये अभिलेखों से मिलान कर लिया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरानत समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।

1 सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

2 प्राप्त ई–निविदा के अनुसार 06 माह के लिए देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 देय होगा।

3 जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराना होगा। जिन क्षेत्रों के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त नही है, के सफल

Scanned with CamScanner

निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा अनुज्ञा–पत्रधारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र लिया जायेगा।

14 पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।

15 अनुज्ञा पत्र में विर्निदिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक, या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।

16 पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रियाएं सम्पादित करेगा।

17 क्षेत्र की स्थलीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तो का निर्धारण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

18 मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 तथा समय–समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

19 अन्य नियम एवं शर्तेः– जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाय।

(प्रवीण कुमार लक्षकार)
जिलाधिकारी
बलिया।

पत्रांक व तद्दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, मोहद्दीपुर गोरखपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन0आई0सी0 बलिया को जिले की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. नाजिर सदर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सूचना पट पर चस्पा हेतु।
8. उपजिलाधिकारी सिकन्दरपुर बलिया।

29/11

(प्रवीण कुमार लक्षकार)
जिलाधिकारी
बलिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by JITESH KUMAR
Date: 2024.12.09 15:16:59 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with CamScanner